

वाणिज्य शिक्षा को सामान्य लक्ष्यों की दृष्टि से दो भागों में बाँटा जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं—

(1) व्यावसायिक शिक्षा

(2) अव्यावसायिक शिक्षा

अमेरिका के एक व्यावसायिक संगठन ने व्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा व अव्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा की परिभाषा निम्न प्रकार से प्रस्तुत की है—

“व्यावसायिक शिक्षा वाणिज्य का एक ऐसा कार्यक्रम है, जो छात्रों को वाणिज्यिक धन्धों के लिये ऐसी आवश्यक कुशलता, ज्ञान व अभिवृत्ति से युक्त कर सके, जो कि प्रारम्भिक रोजगार प्राप्त करने और उसमें उन्नति करने हेतु आवश्यक है।” दूसरी ओर व्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा से तात्पर्य है, “वह शिक्षा जो छात्रों को ऐसी सूचनाओं व क्षमताओं से सुसज्जित कर सके, जो वाणिज्य के क्षेत्र में व्यक्तिगत कार्यों और सेवाओं से सम्बन्धित है और जिनकी हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है।”

इन उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

(1) **व्यावहारिक उपयोगिता का उद्देश्य**—विभिन्न शिक्षा स्तरों पर छात्र जो भी क्षमतायें, कुशलतायें व आवश्यक ज्ञान अर्जित करते हैं, जो उसे व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बना सकें। छात्रों को बैंकों, बीमा कम्पनियों व कार्यालयों, व्यापारिक संगठनों व मिलों, कारखानों आदि में ले जाकर उनके क्रियाकलापों के व्यावहारिक पक्ष की आवश्यक जानकारियाँ दी जाती हैं। इनके साथ-साथ उन्हें अनेकानेक वाणिज्यिक प्रतिष्ठा में कच्चे माल के स्त्रोत क्या-क्या हैं और कहाँ-कहाँ हैं, उनकी प्राप्ति के तरीके, प्रशासनिक तरीके, पूँजी में संतुलन पक्ष की उचित जानकारियाँ दी जाती हैं। इससे छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना व सहयोग की प्रवृत्ति भी विकसित होती है। इस प्रकार वाणिज्य शिक्षा द्वारा विभिन्न स्त्रोतों, बीमा कम्पनियों, बैंकों, सहकारी समितियों से छात्र जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, बाद में उन्हें जीवन में उनका व्यावहारिक उपयोग व्यावहारिक उपयोगिता को अर्जित करने में सक्षम बनाते हैं।

(2) **साधारण चातुर्थ का विकास**—वाणिज्य शिक्षा छात्रों में साधारण चातुर्थ का विकास करती है। कुछ विशेष वर्ग के बालक जीवन के प्रारम्भिक चरणों से ही व्यापार

कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, ऐसे बालक शीघ्र व्यापारिक कार्यों व वाणिज्यिक सिद्धान्तों में आवश्यक कौशल अर्जित कर लेते हैं, आय-व्यय का हिसाब रखना, पूँजी का उचित व अधिकतम उपयोग करना, बाजार की स्थिति, आवक को सही ढंग से जानना, बैंक कार्यों, बीमा कार्यों, सहकारी समितियों से परिचय, रेल विभाग व डाक तार विभाग से सामान भेजने व सामान व पत्र आदि शीघ्र व उचित ढंग से प्राप्त करने में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। वाणिज्य शिक्षा द्वारा छात्र माँग व पूर्ति के सिद्धान्त को ध्यान में रखे बाजार से सम्पर्क जोड़ते हैं। वह धन का उचित संतुलन बनाने में सफल रहते हैं। इस प्रकार वाणिज्य शिक्षा के द्वारा छात्रों में आवश्यक साधारण चातुर्य का विकास किया जा सकता है।

(3) जीविकोपार्जन का उद्देश्य —वाणिज्य शिक्षा भावी जीवन के लिये सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करती है। वाणिज्य शिक्षा का एक उद्देश्य जीविकोपार्जन है। जीविकोपार्जन के लिये धन की अहम् भूमिका होती है। वाणिज्य शिक्षा बतलाती है कि धन किन-किन कार्यों व व्यवसायों से अर्जित किया जा सकता है। वाणिज्य शिक्षा विभिन्न व्यवसायों, उनके क्रियाकलापों की जानकारी देकर व्यावहारिक व यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित करती है, जिससे वे जीविकोपार्जन के लिये व आत्मनिर्भर बनने के लिये प्रेरित होते हैं। फलस्वरूप वे एक निश्चित व्यवसाय का चयन करते हैं तथा लगन व परिश्रम के द्वारा जीविकोपार्जन में अपने को संलग्न करते हैं। जीविकोपार्जन के उद्देश्य को सफल बनाने के लिये वाणिज्य शिक्षा के अन्तर्गत अनेकानेक व्यवसायों से परिचित कराया जाये। इससे छात्रों में आवश्यक ज्ञान, कुशलताओं व क्षमताओं का विकास होगा। व्यवसाय बढ़ेगे तो स्त्रोत भी बढ़ेगे, उत्पादन भी बढ़ेगा। फलस्वरूप न केवल नागरिक अपितु राष्ट्र भी आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनेगा।

(4) वाणिज्यिक कुशलताओं का विकास—वाणिज्यिक क्रिया-कलापों व गतिविधियों की सामान्य जानकारी कराना भी वाणिज्य शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। किसी भी देश की शक्ति-सम्पन्नता व आर्थिक सम्पन्नता में वित्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। व्यापार व वाणिज्य वित्तीय व्यवस्था के सारे ताने-बाने निर्धारित करता है। बैंक व्यवस्था से चैक, ड्राफ्ट, चालू खाते, बचत पत्र आदि व डाक विभाग से रजिस्ट्री, पत्र विनिमय, सहकारी समितियों की कार्य-प्रणालियों द्वारा बाजार से सम्पर्क स्थापित करा माल का उत्पादन किस प्रकार कैसे साधनों से अधिकाधिक उत्पादित हो सकता है, ये कुशलतायें विकसित की जा सकती हैं। वाणिज्य शिक्षा द्वारा वाणिज्य सेवाओं की जानकारी के साथ-साथ राष्ट्र की आर्थिक नीतियों, कार्यक्रमों व समस्याओं की भी जानकारियाँ कराना आवश्यक है। इस प्रकार वाणिज्य शिक्षा प्रभावपूर्ण ढंग से छात्रों में वाणिज्यिक क्षमताओं व कुशलताओं का विकास कर छात्रों को पैनी व्यापारिक दृष्टि प्रदान करती है। वाणिज्य शिक्षा द्वारा प्रदत्त इस पैनी दृष्टि से आर्थिक कुशलता व आर्थिक जागरूकता विकसित होती है।

(5) व्यवसाय परिवर्तन में अनुकूलता—वाणिज्य शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वे भविष्य में अर्जित ज्ञान का जीवन में उपयोग कर सकें तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यवसाय परिवर्तन भी आसानी से कर सकें। वाणिज्य शिक्षा द्वारा छात्रों को जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करना मुख्य कार्य है। विज्ञान के इस चामत्कारिक युग ने अनेकानेक नवीन मशीनों का आविष्कार किया है। अतः तत्सम्बन्धी व्यक्तियों को व्यवसाय परिवर्तन के लिये तत्पर रहना चाहिये। आर्थिक रूप में परिवर्तन तथा सहकारी नीति में बदलाव भी कई पुराने व्यवसायों व उद्योगों को बन्द कर नये व्यवसाय व उद्योग स्त्रोत प्रस्तुत करते हैं। अतः व्यवसाय परिवर्तन के लिये तत्पर रहना चाहिये। वाणिज्य शिक्षा द्वारा छात्रों को यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए ताकि वे समय-कुसमय कठिनाइयों से मुकाबला कर सकें व साहस व परिश्रम से युक्त मानव को समय व परिस्थिति के अनुसार आवश्यकतानुसार व्यवसाय परिवर्तन के लिये सक्षम बना सके।

(6) राष्ट्र की आर्थिक स्थिति व समस्याओं की जानकारी कराना—यदि राष्ट्र का लक्ष्य ऊँचा है और वह राजनीतिक स्वतन्त्रता व समानता के साथ-साथ आर्थिक स्वतन्त्रता व समानता तथा आर्थिक लोकतन्त्र को सही अर्थों में प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की वास्तविक आर्थिक स्थिति व राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं से अवगत हो, तभी वे इन समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर हो सकते हैं। वाणिज्य शिक्षा छात्रों को उचित दृष्टि व उचित जागरूकता प्रदान कर सकती है। प्रजातंत्रात्मक देश में प्रत्येक नागरिक को उसकी सरकार की वाणिज्य नीतियों की सही जानकारी होनी भी आवश्यक है। उद्योग, उत्पादन, व्यापार, आयात-निर्यात, श्रम व पूँजी आदि की नीतियाँ व उनकी समस्याओं से अवगत कराने में वाणिज्य शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। राष्ट्र के कौन-कौन से स्त्रोत, साधन व व्यवसाय ऐसे हैं, जिनके विकास की सम्भावनायें हैं। इनका वाणिज्य शिक्षा द्वारा ज्ञान कराकर अनेक उद्योग, व्यापार के विकास की सम्भावनायें विकसित की जा सकती हैं। राष्ट्र को शक्तिशाली व समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।

(7) लोकतांत्रिक उद्देश्य—माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, “लोकतंत्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण द्वायित्व है, जिसके लिये प्रत्येक नागरिक को प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें बहुत-से बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक गुण निहित हैं, जिनकी अपने आप विकसित होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।”

भारत ने अपने को लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया है। लोकतंत्र में शासन के स्वरूप के साथ-साथ जीवन के एक तरीके के रूप में भी स्वीकार किया है। अतः हमारी कार्यप्रणाली भी उसी के अनुरूप तय करनी होगी। इसके लिये प्रत्येक नागरिक में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना आवश्यक है। वाणिज्य शिक्षा द्वारा हम इस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। वाणिज्य शिक्षा द्वारा हम आर्थिक स्वतन्त्रता व आर्थिक लोकतंत्र के ऊँचे लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। लोकतंत्र को एक दिशा, गति व शक्ति प्रदान की जा

सकती है। प्रजातांत्रिक नागरिकों के लिये आवश्यक सूझ, दक्षता, अभिवृत्तियों का विकास वाणिज्य शिक्षा के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। वाणिज्य शिक्षा आर्थिक सिद्धान्तों को जीवन में उतारने की कला सिखाकर व्यावहारिक नागरिकों का निर्माण करती है।

(8) तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास—वाणिज्य शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों में उचित तर्क व निर्णय शक्ति का विकास करना है। अनेकानेक समस्याओं के समाधान के लिये जरूरी है कि छात्रों को इन बातों की जानकारी हो कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सत्य है और क्या असत्य, उपरोक्त का सही ज्ञान होने पर ही वे समस्याओं के उचित समाधान निकालने में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार की विभेदीकरण की शक्ति मानसिक शक्तियों के विकास द्वारा ही सम्भव हो सकती है। वाणिज्य शिक्षा छात्रों के सम्मुख अनेकानेक ठोस तथ्य प्रस्तुत करती है, इन तथ्यों से प्रेरित होकर छात्र उन तथ्यों के सम्बन्ध में चिन्तन तथा मनन करते हैं। इस प्रकार वाणिज्य शिक्षा छात्रों को चिंतन तथा मनन करने के अनेकानेक अवसर प्रदान करती है। आज आलोचनात्मक चिंतन की महत्ता को सर्वत्र स्वीकारा गया है। वाणिज्य शिक्षा अपने छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन के लिये व्यापक धरातल प्रस्तुत करती है। इस प्रकार वाणिज्य शिक्षा के द्वारा छात्रों में उचित तर्क, चिंतन व निर्णय शक्ति का विकास किया जाता है।

(9) सेवा-भाव, धैर्य, नम्रता व ईमानदारी की भावना का विकास—वाणिज्य शिक्षा द्वारा छात्रों में सेवा व नम्रता के गुणों को बड़े मनोवेग से विकसित किये जाते हैं। व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों में नम्रता व सेवा के गुण प्रथम आवश्यक शर्त होती है, क्योंकि अगर वह सेवाभावी व नम्र नहीं होगा तो अपने व्यापार को आसानी से विकसित नहीं कर पायेगा तथा वह दूसरों को अपने व्यवसाय क्षेत्र में आकर्षित नहीं कर पायेगा। नम्रता का गुण व्यापारी को साख जमाने में सर्वाधिक सहयोग प्रदान करता है। उसके साथ-साथ व्यापारी को धैर्यवान भी होना चाहिये। कोई ग्राहक कभी अगर अनावश्यक व अनुचित बात भी करे तो उसे धैर्य से सुनने की क्षमता होनी चाहिये। कुशल व्यापारी कभी भी धैर्य नहीं खोता है, वह हर बात लाभ-हानि मुस्कराते हुये सह जाता है। वाणिज्य शिक्षा छात्रों को ईमानदारी की भी शिक्षा प्रदान करती है। वाणिज्य शिक्षा बतलाती है कि जो व्यापारी अपने व्यवसाय या व्यापार में ईमानदारी रखता है, वही अन्ततः लाभ प्राप्त करता है। वास्तव में, एक व्यापारी की सफलता का रहस्य उसकी ईमानदारी की भावना में निहित होता है। इस प्रकार वाणिज्य शिक्षा छात्रों में सेवाभाव, धैर्य, नम्रता व ईमानदारी के गुणों को उचित रूप से विकसित करने में सहायता प्रदान करती है।

(10) अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास—विश्व में युद्ध के भय को कम करने के लिये, आर्थिक, परस्पर निर्भरता को उपयोगी व व्यावहारिक बनाने के लिये तथा मानव जाति के उत्थान व कल्याण के लिये विश्व के समस्त देशवासियों के हृदय में अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना आवश्यक है। राजनीतिक कारणों के अतिरिक्त आर्थिक कारण भी अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना को आवश्यक बना देते हैं। यातायात के तीव्रगामी व मितव्ययी साधनों ने विश्व को अत्यन्त लघु रूप प्रदान कर दिया है। आज विश्व के देश विशिष्टीकरण के सिद्धान्त के अनुसार उत्पादन करने लगे हैं।